शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल
सं.1099/नौ-7-14-14सी.वी./2012

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2014

विषयः नगर निगम की स्थापना हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2896/नौ-8-2001-94ज./2001, दिनांक 01.08.2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके संलग्नक द्वारा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद एवं नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत करने अथवा निकायों की सीमा वृद्धि करने के संबंध में मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

2. जनगणना-2011 के आधार पर निःसन्देह स्थानीय निकायों की जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई है, साथ ही स्थानीय निकाय के निकटवर्ती क्षेत्रों में शहरी लक्षण उत्पन्न हुए हैं, जिसके कारण नागरिकों को मूलभूत अवस्थापना सुविधायें सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत स्थानीय निकायों के उच्चीकरण एवं सीमा वृद्धि हेतु निर्धारित मापदण्डों/औपचारिकताओं पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक हो गया है।

3. उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त नगर पालिका परिषद का उच्चीकरण नगर निगम में किये जाने अथवा नगर निगम के सीमा विस्तार हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 01.08.2001 के संलग्नक के बिन्दु संख्या-5 में अंकित मापदण्ड/औपचारिकता अर्थात नगर निगम बनाने/सीमा विस्तार हेतु उसमें सम्मिलित होने वाली ग्राम सभाओं की भूमि के संबंध में संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति लिये जाने की अनिवार्यता/अपरिहार्यता को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 01.08.2001 के संलग्न में उल्लिखित अन्य मापदण्ड/औपचारिकतायें यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में नगर पालिका परिषदों का नगर निगम में उच्चीकरण अथवा नगर निगम की सीमा के विस्तार का प्रस्ताव उपरोक्त संशोधन के अनुसार शासन को विचारार्थ प्रेषित किये जायें।

भवदीय,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्याः1099(1)/नौ-7-14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अनुभाग।
2. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।